Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2022/161 बअनवान नारायणसिंह बनाम पूनमसिहं वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री अमृत परिहार द्वारा बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी सपठित आदेश 9 नियम 2 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादी पक्ष ने न्यायालय आदेश 28.09.2022 की पालना आज दिन तक नही की है। वादी पक्ष ने जान बूझ कर त्रुटियां रख कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है जिसको लम्बी अवधि तक जारी रखवाना चाहता है। इस प्रकार वादी द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी सं. 3 रूपसिंह की मृत्यु वाद प्रस्तुत करने से पहते हो चुकी थी जिससे मृतक के विरूद्ध उक्त वाद पेश होने से खारिज योग्य है। वादीपक्ष ने बाद में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना स्वयं की मर्जी से, अदालत से आदेश प्राप्त किये बिना, प्रतिवादी रूप सिंह के एक वारिस शंकरलाल को पक्षकार बनाकर संशोधित शीर्षक पेश किया है। वकील प्रतिवादी श्री अमृतपरिहार ने अंत में दलील दी की उक्त वाद संपूर्ण भूमि का पेश नही कर मात्र एक खसरा नंबर के विशेष भू–भाग का ही पीक एण्ड चुज का ही पेश किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(17), 53 के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं होने से वादी का वाद धारा 151 सीपीसी एवं आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के प्रोविजो के तहत खारिज किये जाने की दलील दी। वकील प्रतिवादी की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील वादी श्री श्रीपाल सिंह व उनके जूनियर अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई की न्यायालय आदेशिका दिनांक 28.09.2022 के अनुपालना में संशोधित शीर्षक व पीएफ सम्मन पेश कर दिये है जिससे प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी खारिज कर प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही करने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि वादी द्वारा ग्राम सोकडा स्थित भूमि खसरा नं 262 रकबा 3.98 हैक्टर के विभाजन का वाद पेश किया है। वादपत्र के संलग्न जमाबंदी की प्रति अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 262 में वादी व प्रतिवादी के साथ में कुल 110 सहखातेदारान रिकार्ड में दर्ज है तथा इसके साथ ही खाता सं. 51 में खसरा नंबर 262 के साथ अन्य 38 खसरा नंबरान की भूमि भी इन सहखातेदारान के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना ज्ञात है परंतु वादी ने उक्त वाद मात्र खसरा नंबर 262 रकबा 3.98 हैक्टर का केवल तीन प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है तथा साथ में स्थगन प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करते हुयें दिनांक 16.05.2022 को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर ली है। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.06.2022 को प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया तथा इसके पश्चात दिनांक 13.09.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 8 सीपीसी पेश किया गया। प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो को मद्देनजर रखते हुये दिनांक 28.09.2022 से प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी खारीज करते हुये खसरा नंबर 262 के समस्त रिकार्डेड खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 21.11.2022 के पश्चात वादी अधिवक्ता को न्यायालय आदेशकी पालना के लिये तकरिबन 12 समयावसर डेढ वर्ष की अवधि तक प्रदान किये जाने के बावजूद वादीअधिवक्ता द्वारा इसकी पालना नही की जाने से प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने दिनांक 09.07.2024 को प्रा.पत्र धारा 151 सीपीसी सपठित आदेश 9 नियम 2 सीपीसी पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र का जवाब भी वादी अधिवक्ता द्वारा पेश नही किया गया। इस प्रकार तमाम	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	तथ्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा न्यायालय आदेशिकाओं का दुरूपयोग किया जा रहा है। जबकि विधि के प्रावधान इसकी अनुमति नही देते है। विधि के प्रावधानो अनुसार न्यायालय इतना लाचार नही है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की अनुमति प्रदान करें। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं 1, 2 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। ग्राम सोकडा स्थित भूमि खसरा नं 262 रकबा 3.98 हैक्टर के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 53, 188 आरटीएक्ट आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के प्रोविजो के तहत खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों। सहायक उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2007/00014

वादी :

नारायणसिंह पुत्र स्व. वरदीचन्दजी, जाति राजपुरोहित निवासी सोकडा तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

पूनमसिंह पुत्र स्व. मोहब्बतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सोकडा तहसील बाली वगैरा

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2023/

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व प्रतिवादी पैरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम बेडा–2 के हाल खसरा नंबर 2561 रकबा 0.96 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीए 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-08-24 को जारी किया गया।

(श्री दिनेश विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner